liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.

(g) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/216/84/2021/F / F. No. 8(84)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

का.आ. 1236(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 30.06.2020 के का. आ. 2151 (अ) और दिनांक 03.12.2020 के का. आ. 4333 (अ) के माध्यम से 31.03.2021 तक विस्तारित अधिसूचना के माध्यम से डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत, हेपरिन इंजेक्शन 1000 आई यू/मिली और हेपरिन इंजेक्शन 5000 आई यू/मिली की अधिकतम कीमतें तय की गयी हैं, जिन्हें आगे 30.09.2021 या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो तक बढ़ाया गया है।

2. दिनांक 03.12.2020 के विस्तार के आदेश का.आ. (अ) 4333 के साथ पढ़े गये दिनांक 30 जून, 2020 के मूल आदेश का.आ. 2151(अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और "31 मार्च 2021" वाक्यांश के लिए पैरा 6, टिप्पणियां (क) और नोट (ट) को छोड़कर लागू होते हैं इसे "31 सितम्बर 2021" या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो के रूप में पढ़ा जाना है।

[पीएन/216/84/2021/एफ/फा.सं.8(84)/2021/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजित दास, उप निदेशक

ORDER

New Delhi, the 17th March, 2021

- **S.O. 1236(E).**—The ceiling prices of Heparin Injection 1000IU/ ml and Heparin Injection 5000IU/ ml fixed under Para 19 of the DPCO, 2013 vide notification S.O. 2151(E) dated 30.06.2020 and extended upto 31.03.2021 vide S.O. 4333(E) dated 03.12.2020, issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India are further extended upto 30.09.2021 or until further order, whichever is earlier.
- 2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 2151(E) dated 30.06.2020 read with extension order S.O. 4333(E) dated 03.12.2020 shall remain the same and are applicable except that in Para 6, Notes (a) and Note (k) for the phrase "31st March 2021" it is to be read as "30th September 2021 or until further order, whichever is earlier".

[PN/216/84/2021/F / F. No. 8(84)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2021

का.आ. 1237(अ).—िदनांक 18.12.2019 के का. आ 4538 (अ) में, वाक्यांश के लिए "उपरोक्त उल्लिखित तालिका के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट रूप में सिनक्रोब्रीथ इनहेलर डिवाइस की कीमत विनिर्मिति(क) बुडेसोनाइड 200 एमसीजी + फॉर्मेटरोल 6 एमसीजी प्रति खुराक इनहेलर 120 एमडीआई और (ख) मैसर्स सिप्ला लिमिटेड के बुडेसोनाइड 400 एमसीजी + फॉर्मेटरोल 6 एमसीजी प्रति खुराक इनहेलर 120 एमडीआई के अधिकतम कीमत में बाद में परिवर्तन के बावजूद निश्चित रहेगी।" नोट (ई) में उल्लिखित है, इसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है "डीपीसीओ, 2013 के पैरा 16 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) पर आधारित मूल्य संशोधन अगले वर्ष से उपरोक्त तालिका के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट रूप में सिनक्रोब्रीथ इन्हेलर डिवाइस की कीमत पर लागू होगा"।